पत्रांक– वित्त(SFC)–12/24(11)..256..वि0आ0
झारखण्ड सरकार
राज्य वित्त आयोग

रॉची दिनांक..20-12-24

प्रेषक,

अध्यक्ष,
राज्य वित्त आयोग,
झारखण्ड, रॉची।

सेवा में,

सचिव,
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
झारखण्ड सरकार, रॉची।

विषय– झारखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2001 के प्रावधान तथा 73वें संविधान संशोधन के अनुसूची 11 में वर्णित विषयों से संबंधित शक्तियों का पीआरआई (PRI) में प्रत्योजन एवं अनुपालन की स्थिति के संबंध में।

प्रसंग्र– State Finance Commission letter No.वित्त (SFC)–12/24–64/वि0आ0 दिनांक–13.05.2024 एवं वित्त (SFC) 109/वि0आ0 दिनांक–02.07.2024।

महाशय,

उक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट किया गया था तथा आपको स्मारित भी किया गया था, लेकिन **अधतन आपके कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।** आप अवगत है कि 13वें भारत वित्त आयोग ने एक निर्धारित विन्दुओं पर राज्य वित्त आयोगो को प्रतिवेदन प्रेषित करने का निदेश दिया गया है, जिसकी पुष्टि 15वें वित्त आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में की है। इस क्रम में आपेक्षित सूचनाएं आपके कार्यालय से प्राप्त होना अति आवश्यक है। आप अवगत है कि पूर्व में आयोग के स्तर पर कोई डाटा उपलब्ध नहीं है तथा कोई डाटा बेस भी उपलब्ध नहीं है। अतः अनुरोध है कि यथाशीध्र प्रसंगाधीन पत्रों के क्रम में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

2. उक्त के अतिरिक्त निम्न विन्दुओ पर स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट किया जाए:

(i) आपके विभाग से श्री शशि प्रकाश झा, भा.प्र.से. विशेष सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

(ii) पंचायत राज संस्थानों का राजस्व संग्रह में क्या कोई भूमिका है, क्या यह कार्य परम्परागत ग्राम प्रधान, मुण्डा इत्यादि के द्वारा किया जाता है?

3. परम्परागत ग्राम प्रधान, मुण्डा जो विभिन्न नामों से क्षेत्रीय स्तर पर तथा सीएनटी/एसपीटी अंतर्गत विभिन्न पदनाम से जाने जाते है उसका उल्लेख करना चाहेंगे।

4 सीएनटी/एसपीटी एक्ट के प्रावधान तथा जिसके तहत कंडिका 2 एवं 3, के पदधारक/दायित्व आच्छांदित है तथा संबंधित के चयन एवं दायित्व किन प्रावधानों में अंकित है? उक्त का स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित एक्ट नियमावली की प्रति (संबंधित अंश) उपलब्ध कराया जाए।

5. विभिन्न प्रकार के सैरात यथा मार्केट, मेला, तालाब, पोखर, बांध का जमावंदी जिलावार व्यौरा एवं नगर निकायवार संख्या तथा वर्तमान में संबंधित किस विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है इसका व्यौरा उपलब्ध कराया जाए।

6. **स्टाम्प ड्यूटी सरचार्ज** (Stamp Duty Surcharge) की वर्तमान दर क्या है? प्रतिवर्ष राज्य में कितनी राशि की वसूली इस मद में की जाती है, इसका व्यौरा कम–से–कम वर्ष 2017–18 से वर्ष 2022–23 तक का उपलब्ध कराना चाहेंगे। क्या यह राशि संबंधित नगर निकाय एवं पीआरआई को स्थानांतरित की जाती है, अगर हॉ तो पीआरआई एवं यूएलबी का व्यौरा उपलब्ध कराये अगर नही तो इसका क्या कारण है?

7. राजस्व विभाग के अधीन हल्का कर्मचारी, सीआई, सीओ का पीआरआई/यूएलबी के साथ क्या प्रशासनिक समन्वयय की व्यवस्था है।

8. अर्तविभागीय समन्वयय के लिए विभाग में क्या स्थापित प्रक्रिया है, तथा किन किन विभागों से अंर्तविभागीय समन्वयय पीआरआई/यूएलबी से जिलावार किया जाता है?

विश्वासभाजन,

ह/–

अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग

ज्ञापांकः– **वित्त(SFC)–12/24(11) 256 वि0आ0** **रॉची, दिनांक 20-12-24**

प्रतिलिपिः–सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड रॉची के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह/– 18/12/24

अध्यक्ष

राज्य वित्त आयोग